न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर

प्रकरण सं0 01/2019 वर्ष 2019

राजस्थान सरकार बनाम कुलदीप सिंह S/o हरपाल सिंह मजहबी सिख

प्रस्तुतिकरण दिनांक 18/2/19 निर्णय दिनांक 8/3/19

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशिंयल्स जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
8/3/19	पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्वत् 2075 में भूमि रकबा राज दर्ज है। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का 28GBA का प्रतिवेदन दिनांक 18/2/19 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी कुलदीप सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति मजहबी सिख निवासी श्रीविजयनगर को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक 28GBB मु.नं. 174/424 कुल 1.671 है0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू0 राजस्व की दर का 50 गुणा राशि 919/- शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू0अधि0 SBNA को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे। निर्णय आज दिनांक 8/3/2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया। तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर 'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. 32 की क्रम सं. 02 दिनांक 14-3-19 को 919 दर्ज किया गया। ता0रा0ले0	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2019.12.13 16:47:42 IST
Reason: SelfAttested